वर्ष 2021-22

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-2

अध्याय III
वाहनों पर कर

अध्याय III: वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989; बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव और विभाग के शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों[1] तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें मोटर वाहन निरीक्षक सहायता करते हैं। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, करों व शुल्कों का आरोपण एवं संग्रहण तथा चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2021–22 के दौरान लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 49 इकाईयों में से सात[2] के अभिलेखों का नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा जाँच में करों का नहीं/कम वसूली, फीस, जुर्माना और अर्थदंड का अधिरोपण नहीं होना एवं अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 83.33 करोड़ के मामले (55 अवलोकन) उजागर हुए। विवरणी **तालिका 3.1** में दिखाया गया है।

तालिका 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियाँ	अवलोकनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	मोटर वाहन करों का नहीं और कम आरोपण	11	16.20
2	फीस, जुर्माना एवं अर्थदण्ड का अधिरोपण नहीं होना	13	15.81
3	अन्य मामले	31	51.32
	कुल	**55**	**83.33**

2021–22 के मामलों और पहले के वर्षों के मामलों के जवाब अप्राप्त थे (मार्च 2023)।

3.3 वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के कारण जाँच शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्क का वसूली न होना

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी 2017 और मार्च 2022 के बीच 20,189 वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण सुनिश्चित नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (जाँच शुल्कः ₹ 86.94 लाख एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्कः ₹ 40.38 लाख) की वसूली नहीं हुआ।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988, की धारा 56 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, के नियम 62 के अनुसार एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह फिटनेस प्रमाण–पत्र नहीं रखता है। सड़क परिवहन

---

1 भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और सहरसा।

2 जिला परिवहन कार्यालय : औरंगाबाद, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी और पटना।

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना (नवम्बर 2018) के अनुसार एक नये पंजीकृत वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण–पत्र दो वर्षो के लिए वैध है। आठ वर्ष तक के पुराने वाहनों के लिए प्रत्येक दो वर्ष के बाद और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए प्रत्येक वर्ष इसे नवीनीकृत कराना आवश्यक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के तहत सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्क ₹ 200 और तिपहिया वाहनों के साथ–साथ हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹ 400 एवं भारी वाहनों के लिए ₹ 600 निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2021 और मई 2022 के मध्य), परिवहन वाहनों (तिपहिया, हल्के माल वाहन, मैक्सी/कैब, ई–रिक्शा, माल गाड़ी, ट्रैक्टर और बस) के संबंध में आठ जिला परिवहन कार्यालयों[3] में *वाहन* डेटाबेस में वाहन, कर और फिटनेस तालिका के विवरणों की जाँच की। जाँच के दौरान यह पाया गया कि 43,196 नमूना–जाँचित वाहनों में से 20,189 वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र (जनवरी 2017 और मार्च 2022 के मध्य) के थे, हालाँकि अन्य देय कर वसूले गये थे। इन मामलों में फिटनेस वैधता की समाप्ति 16 से 1,946 दिनों के बीच थी। *वाहन* सॉफ्टवेयर में वाहन मालिकों को अयोग्य वाहनों के लिए करों का भुगतान करने और परमिट जारी/नवीनीकरण करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि वाहनों के फिटनेस की समाप्ति के संबंध में *वाहन* सॉफ्टवेयर में जानकारी उपलब्ध थी, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा अयोग्य वाहनों का परिचालन रोकने के लिए विभाग के प्रवर्तन स्कंध को ऐसे वाहनों की सूची नहीं दी गयी। इस प्रकार, सरकार ₹ 1.27 करोड़ (परीक्षण शुल्कः ₹ 86.94 लाख और फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्कः ₹ 40.38 लाख) के राजस्व की वसूली नहीं कर सकी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अयोग्य वाहनों के परिचालन से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, इन जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो इन अयोग्य वाहनों के पंजीकरण/परमिट को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की और न ही उन्होंने इस संबंध में ऐसे वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किया।

जवाब में, सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने बताया (जुलाई 2021 से मई 2022) कि मोटर वाहन निरीक्षकों को फिटनेस प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगें और इन वाहनों की सूची आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन स्कंध को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा, ने जवाब दिया (जून 2022) कि जाँच के बाद फिटनेस प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिए कार्रवाई की जाएगी।

यह देखा गया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने इन अयोग्य वाहनों को सड़क पर परिचालन से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी, या *वाहन* सॉफ्टवेयर में उपलब्ध जानकारी के आधार पर फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्क के कारण ऐसे वाहनों से राजस्व उगाही के लिए कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा, उन्होंने ऐसे वाहनों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं किया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022) था; हालाँकि जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

[3] औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, नालंदा और समस्तीपुर।

3.4 एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदंड की वसूली नहीं किया जाना

581 दोषी वाहनों के संबंध में एकमुश्त कर के विलंब से भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना/आरोपण न ही *वाहन* सॉफ्टवेयर द्वारा की गई और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के अर्थदंड का आरोपण/वसूली नहीं किया गया।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, की धारा 23 के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994, के नियम 4(2) के अनुसार, नियत तिथि के भीतर कर का भुगतान न करने की स्थिति में देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदंड (देय तिथि के 15 दिनों के बाद से शुरू) लगाने को प्रावधित करता है।

लेखापरीक्षा ने एकमुश्त कर[4] भुगतान करने वाले परिवहन वाहनों (अर्थात ट्रैक्टर/तिपहिया/हल्के माल वाहन/मोटर कैब/ई–रिक्शा) के संबंध में मई 2015 और अगस्त 2021 के बीच की अवधि के लिए नौ जिला परिवहन कार्यालयों[5] में *वाहन* डेटाबेस में मालिक और कर तालिकाओं की जाँच की (अप्रैल 2021 से जुलाई 2022)। संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 61,817 नमूना–जाँचित वाहनों में से 581 वाहन मालिकों ने जून 2015 और मार्च 2021 के बीच 31 दिनों से 584 दिनों की अवधि के विलम्ब से अपना एकमुश्त–कर का भुगतान किया था। एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान पर उक्त नियम अनुसार अर्थदंड का प्रावधान है जिसे *वाहन* सॉफ्टवेयर में विधिवत परिमापित किया गया था। हालाँकि, न तो *वाहन* 2.0 और न ही *वाहन* 4.0 (राज्य में वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुरू किये गये *वाहन* 2.0 का अद्यतन संस्करण), एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना और आरोपण कर सका। इसके अलावा, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना/आरोपण और वसूली नहीं की थी। फलस्वरूप, एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.05 करोड़ की राशि का अर्थदंड आरोपित या वसूल नहीं किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित है।

जवाब में, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2021 से जुलाई 2022) कि अर्थदंड की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किये जायेंगे। हालाँकि, *वाहन* 2.0 सॉफ्टवेयर द्वारा एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए स्वचालित गणना और अर्थदंड नहीं लगाने का मुद्दा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[6] में उजागर किया गया था, विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की और यह समस्या *वाहन* 4.0 में भी बनी रही। विभाग ने एकमुश्त कर की गणना/आरोपण एवं इसके विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की वसूली हेतु अन्य उचित वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की थी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; हालाँकि जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

---

[4] वाहन के पूरे जीवन काल के लिए लगाया गया कर जो उसके निबंधन की तिथि से देय है।

[5] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।

[6] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राजस्व प्रक्षेत्र का प्रतिवेदन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या–2) की कंडिका 4.5।

3.5 मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना

चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कर चूककर्ता सूची तैयार करने के लिए *वाहन* के कर तालिका की निगरानी या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा चूककर्ताओं को कोई माँग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 22.16 करोड़ कर और अर्थदंड की वसूली नहीं हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 और 9 के अनुसार, एक निबंधित वाणिज्यिक मोटर वाहन के मालिक को संबंधित कर अधिकारी को वार्षिक मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है और, निवास/व्यवसाय में बदलाव की स्थिति में, वाहन मालिक नये कर पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है बशर्त्ते वह पिछले कर पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 का नियम 4(2) यह प्रावधित करता है कि यदि किसी वाहन पर 15 दिनों से अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं होता है तो कर पदाधिकारी देय कर के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक की दरों पर अर्थदंड आरोपित करेगा। बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधित) अधिनियम, 2016 की धारा 6(अ), देय वार्षिक मोटर वाहन करों के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकर लगाने को प्रावधित करता है (बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7(1) के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी वाहनों के मामलों को छोड़कर)।

लेखापरीक्षा ने नौ जिला परिवहन कार्यालयों[7] में *वाहन* डेटाबेस में चूककर्ता, मालिक और कर तालिका की जाँच की (अप्रैल 2021 और मई 2022 के बीच) और पाया कि 6,761 परिवहन वाहनों (मार्च 2005 और दिसम्बर 2020 के बीच निबंधित) के मालिकों द्वारा वार्षिक/तिमाही करों का भुगतान किया जाना आवश्यक था। इनमें से 3,796 परिवहन वाहनों के मालिकों ने सितम्बर 2016 और मार्च 2022 के बीच की अवधि से संबंधित अपने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था। इनमें से किसी भी मामलें में, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आकस्मिक कारकों जैसे पता बदलने, निबंधन प्रमाण–पत्र का अभ्यर्पण या वाहनों का परिचालन नहीं किये जाने के साक्ष्य अभिलेख में नहीं पाये गये।

हालाँकि चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान न करने के संबंध में जानकारी, जिला परिवहन पदाधिकारियों के पास *वाहन* डेटाबेस में उपलब्ध थी, उन्होंने चूककर्ता की सूची में शामिल वाहन मालिकों से करों के आरोपण/वसूली करने के लिए *वाहन* की कर तालिका की निगरानी या समीक्षा नहीं की। इस प्रकार संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्ताओं को कोई मांग पत्र जारी किया और न ही इन वाहनों की सूची प्रवर्तन स्कंध को भेजी। परिणामस्वरूप, ₹ 22.16 करोड़ (सड़क कर: ₹ 7.36 करोड़, सड़क सुरक्षा उपकर: ₹ 7.36 लाख और अर्थदंड: ₹ 14.72 करोड़) की राशि का कर एवं अर्थदंड की वसूली नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जवाब दिया (अप्रैल 2021 से जून 2022 के बीच) कि कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये जायेगें। जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद, ने कहा (जनवरी 2022) कि, हालाँकि चूककर्ताओं के खिलाफ

[7] औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, नालंदा, पटना और समस्तीपुर।

नियमित रूप से मांग पत्र जारी किये जा रहे थे, लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में जाँच के बाद मांग पत्र जारी किये जायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार, ने कहा (फरवरी 2022) कि इन वाहनों के मालिकों को पूर्व में मांग पत्र जारी किया जा चुका था और शेष राशि की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किये जायेंगे। हालाँकि, बयान को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया था।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2022)। जवाब में बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के अधिकार क्षेत्र में चूककर्ता वाहन मालिकों से ₹ 1.15 करोड़ की वसूली कर ली गयी थी और शेष वाहन मालिकों को मांग–पत्र जारी कर दिया गया था। शेष आठ जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (नबम्बर 2023 तक)।

परिशिष्ट 3.1
(संदर्भः कंडिका 3.3)
वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के कारण जाँच शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र शुल्क की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला परिवहन कार्यालय	जाँच किये गये वाहनों की संख्या	फिटनेस वैधता की अवधि		भुगतान किये गये कर की अवधि		वाहनों की संख्या जिनकी फिटनेस कालातीत हुई			विलंब की अवधि (दिनों में)	₹ 200 की दर से फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्क	₹ 400 एवं ₹ 600 की दर से जाँच शुल्क	कुल
			से	तक	से	तक	एकमुश्त कर भुगतान करने वाले परिवहन वाहन	वार्षिक कर भुगतान करने वाले वाहन	कुल				
1	औरंगाबाद	9,102	नवम्बर 2019	दिसम्बर 2021	मार्च 2013	मई 2032	701	357	1,058	16 से 801	2,11,600	4,89,000	7,00,600
2	भागलपुर	6,789	अगस्त 2019	फरवरी 2022	दिसम्बर 2015	फरवरी 2033	3,447	348	3,795	16 से 957	7,59,000	16,72,000	24,31,000
3	बक्सर	3,968	जनवरी 2017	मार्च 2022	मई 2015	जनवरी 2033	2,028	94	2,122	50 से 1,946	4,24,400	8,67,200	12,91,600
4	गया	5,001	मई 2019	दिसम्बर 2021	जनवरी 2013	अक्टूबर 2036	1,985	824	2,809	20 से 995	5,61,800	13,65,600	19,27,400
5	कटिहार	3,277	अप्रैल 2019	जनवरी 2022	जनवरी 2014	जनवरी 2033	1,673	105	1,778	17 से 1,045	3,55,600	7,35,400	10,91,000
6	किशनगंज	2,972	अप्रैल 2019	जनवरी 2022	अप्रैल 2017	जनवरी 2028	1,844	46	1,890	27 से 1,426	3,78,000	7,75,000	11,53,000
7	नालन्दा	2,929	दिसम्बर 2019	मार्च 2022	मई 2015	जनवरी 2033	1,456	112	1,568	54 से 903	3,13,600	6,46,800	9,60,400
8	समस्तीपुर	9,158	जनवरी 2017	जनवरी 2020	मई 2010	जून 2032	5,085	84	5,169	16 से 1,125	10,33,800	21,42,600	31,76,400
	कुल	**43,196**					**18,219**	**1970**	**20,189**		**40,37,800**	**86,93,600**	**1,27,31,400**

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः कंडिका 3.4)

एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदंड की वसूली नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला परिवहन कार्यालय	जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहन का वर्ग						निबंधन की अवधि		कर प्राप्ति की अवधि		विलंब दिनों में	भुगतान किये गये एकमुश्त कर	भुगतान किया गया अर्थदंड	देय अर्थदंड	कम भुगतान किये गये अर्थदंड
			हल्के मालवाहक वाहन	तिपहिया वाहन	ट्रैक्टर	ई–रिक्शा	मोटर कैब	कुल	से	तक	से	तक					
1	औरंगाबाद	2,878	0	0	29	4	0	33	जून 2020	अगस्त 2020	जून 2020	जुलाई 2020	32-169	8,43,354	0	12,97,721	12,97,721
2	बांका	11,105	3	1	32	0	0	36	मई 2015	नवम्बर 2017	जून 2015	फरवरी 2018	31-584	7,77,311	0	7,73,284	7,73,284
3	भागलपुर	1,754	0	0	30	0	0	30	दिसम्बर 2019	जनवरी 2021	दिसम्बर 2019	दिसम्बर 2020	32-469	8,05,737	0	12,79,774	12,79,774
4	बक्सर	6,119	2	13	68	18	0	101	अगस्त 2016	दिसम्बर 2019	अगस्त 2016	दिसम्बर 2019	31-162	19,06,515	0	21,95,339	21,95,339
5	गया	6,801	0	19	7	7	0	33	अप्रैल 2019	मार्च 2021	अप्रैल 2019	अक्टूबर 2020	32-130	4,09,902	0	3,38,824	3,38,824
6	कटिहार	8,156	7	10	37	8	0	62	अगस्त 2019	मार्च 2021	अक्टूबर 2017	मार्च 2021	32-259	12,30,043	0	16,21,375	16,21,375
7	किशनगंज	7,510	41	70	65	7	5	188	सितम्बर 2017	जनवरी 2021	सितम्बर 2017	अक्टूबर 2020	31-287	31,55,130	0	16,80,193	16,80,193
8	समस्तीपुर	6,908	51	6	5	0	16	78	फरवरी 2017	फरवरी 2020	फरवरी 2017	फरवरी 2020	31-88	18,20,666	0	9,27,270	9,27,270
9	सीतामढ़ी	10,586	9	5	4	0	2	20	जुलाई 2017	जुलाई 2020	जुलाई 2017	जून 2020	31-348	3,08,352	0	4,15,832	4,15,832
कुल		**61,817**	**113**	**124**	**277**	**44**	**23**	**581**						**1,12,57,010**	**0**	**1,05,29,612**	**1,05,29,612**

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भ: कंडिका 3.5)
मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला परिवहन कार्यालय	जाँच किये गये वाहनों की संख्या	कर चूककर्ता वाहनों की संख्या	निबंधन अवधि	देय कर की अवधि	देय कर	देय सड़क सुरक्षा उपकर (एक प्रतिशत की दर से)	देय अर्थदंड	कुल
1	औरंगाबाद	1,337	266	01/2007 से 09/2020	02/2019 से 03/2021	48,12,253	48,141	96,24,506	1,44,84,900
2	भागलपुर	729	541	01/2007 से 10/2020	02/2019 से 03/2021	96,94,142	96,945	1,93,88,284	2,91,79,371
3	बक्सर	464	341	01/2008 से 12/2020	05/2016 से 03/2022	1,01,38,268	1,01,390	2,02,76,536	3,05,16,194
4	गया	1,138	926	01/2007 से 10/2020	02/2019 से 03/2021	1,92,13,979	1,92,162	3,84,27,958	5,78,34,099
5	कटिहार	255	172	01/2007 से 03/2020	05/2017 से 03/2021	33,30,418	33,294	66,60,836	1,00,24,548
6	किशनगंज	156	95	03/2005 से 03/2020	09/2016 से 03/2021	24,30,301	24,307	48,60,602	73,15,210
7	नालन्दा	990	467	01/2010 से 09/2021	02/2019 से 03/2022	1,11,89,735	1,11,906	2,23,79,470	3,36,81,111
8	पटना	1,426	904	01/2016 से 01/2021	02/2020 से 12/2020	1,04,96,836	1,05,044	2,09,93,672	3,15,95,552
9	समस्तीपुर	266	84	03/2005 से 02/2020	02/2017 से 03/2021	23,14,498	23,139	46,28,996	69,66,633
कुल		**6,761**	**3,796**			**7,36,20,430**	**7,36,328**	**14,72,40,860**	**22,15,97,618**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु क्यू.आर.
कोड स्कैन करें

https://cag.gov.in/ag/bihar/hi